मा0 उच्च न्यायालय द्वारा जमानत संख्या 8835 वर्ष 2018 रवि बनाम उ0प्र0 सरकार में पारित आदेश के अनुपालन में अगली नियत तिथि 10.07.2019

अति आवश्यक/महत्वपूर्ण समयबद्ध

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

01, तिलक मार्ग, लखनऊ।

पत्रांकःटीएस–सीसीटीएनएस–94–2017–3 **दिनांकः जून 6, 2019**

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक, समस्त जोन, उत्तर प्रदेश।
अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे।
पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, समस्त परिक्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
पुलिस अधीक्षक, रेलवे, समस्त अनुभाग, उत्तर प्रदेश।

विषयः– जमानत याचिका संख्याः 8835/2018 रवि बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में मा0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/निर्देशों के अनुपालन में सीसीटीएनएस योजना के प्रभावी संचालन, अनुश्रवण एवं कियान्वयन हेतु समुचित कार्यवाही को अगली नियत तिथि 10.07.2019 पर मा0 उच्च न्यायालय को अवगत कराये जाने के सम्बन्ध में निर्दिष्ट कार्यवाही किये जाने विषयक।

कृपया जमानत याचिका संख्याः 8835/2018 रवि बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/ निर्देशों/ आदेश दिनांकः 30.10.2018, 15.11.2018, 29.11.2018, 12.02.2019, 25.03.2019, 29.04.2019, 17.05.2019 के अनुपालन में सीसीटीएनएस योजना के प्रभावी संचालन, अनुश्रवण एवं कियान्वयन हेतु समुचित कार्यवाही के अनुश्रवण हेतु **अगली नियत तिथि 10.07.2019** पर मा0 उच्च न्यायालय को अवगत कराये जाने के सम्बन्ध में निर्दिष्ट कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

2. इस सन्दर्भ में अधोहस्ताक्षरी तथा अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें के पत्रांकःटीएस–सीसीटीएनएस–65–2012(रिट–8835)/2018/ समसंख्यक पत्र दिनांक 14.11.2018, 11.12.2018, 27.02.2019, 08.03.2019, 02.04.2019, 03.04.2019, 27.04.2019 का सन्दर्भ लें जिसके माध्यम से मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में सीसीटीएनएस योजना के प्रभावी संचालन, अनुश्रवण एवं कियान्वयन हेतु समुचित कार्यवाही किये जाने के सन्दर्भ में निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं। उक्त क्रम में निर्देशों के अनुपालन में निम्नलिखित बिन्दुओं पर समीक्षा की गयी है:–

➢ सीसीटीएनएस प्लेटफार्म पर सभी जनपदों में कार्य कराये जा रहे हैं। कुछ जनपदों द्वारा इसमें अपेक्षित रूचि ली जा रही है और कुछ जनपदों द्वारा इसमें अपेक्षित रूचि नहीं ली जा रही है।

➢ माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार केस डायरी को सीसीटीएनएस पोर्टल पर फीड किये जाने हेतु विस्तृत निर्देश निर्गत किये गये हैं एवं विभिन्न स्तर पर समीक्षा की गयी तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दिनांक 01.01.2019 से 30.04.2019 तक जहाँ 50 से अधिक अपराध हो रहे हैं, उनमें से अधिकतर थानों द्वारा कोई रूचि नहीं ली जा रही है। जिन थानों पर कम अपराध हो रहे हैं, उन पर सराहनीय कार्य किया जा रहा है। ऐसे थाने जिन पर 50 से ज्यादा अपराध पंजीकृत किये गये हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ जनपद अलीगढ़ थाना क्वार्सी जहाँ 84% केस डायरी सीसीटीएनएस पोर्टल पर फीड की गयी है। दूसरे नम्बर पर जनपद

बुलन्दशहर थाना सिकन्दराबाद में 75% केस डायरी सीसीटीएनएस पोर्टल पर फीड की गयी। जनपद सहारनपुर थाना देवबन्द में भी 75%, जनपद गौतमबुद्धनगर थाना फेस तृतीय में 63%, जनपद मुजफ्फरनगर थाना कोतवाली नगर में 56%, जनपद वाराणसी थाना लंका में 49%, जनपद कानपुर शहर थाना घाटमपुर में 48%, जनपद महराजगंज थाना कोतवाली में 42%, एवं दसवें स्थान पर जनपद देवरिया थाना कोतवाली में 37% केस डायरी सीसीटीएनएस पोर्टल पर फीड किया गया।

➢ प्रतिशत के अतिरिक्त सीसीटीएनएस पोर्टल पर कुल फीड की गयी केस डायरी की समीक्षा करें तो सर्वोच्च स्थान पर 427 केस डायरी के साथ जनपद जालौन का कोतवाली उरई है। द्वितीय स्थान पर जनपद एटा का थाना कोतवाली नगर (373) एवं उसके बाद क्रमशः जनपद वाराणसी का थाना कैण्ट (367) एवं जनपद मुरादाबाद का थाना सिविल लाइन (347) है। सभी जोन में कुछ थानों द्वारा काफी प्रयास किया जा रहा है जिसका अन्य थानों में भी अनुकरण किया जाय।

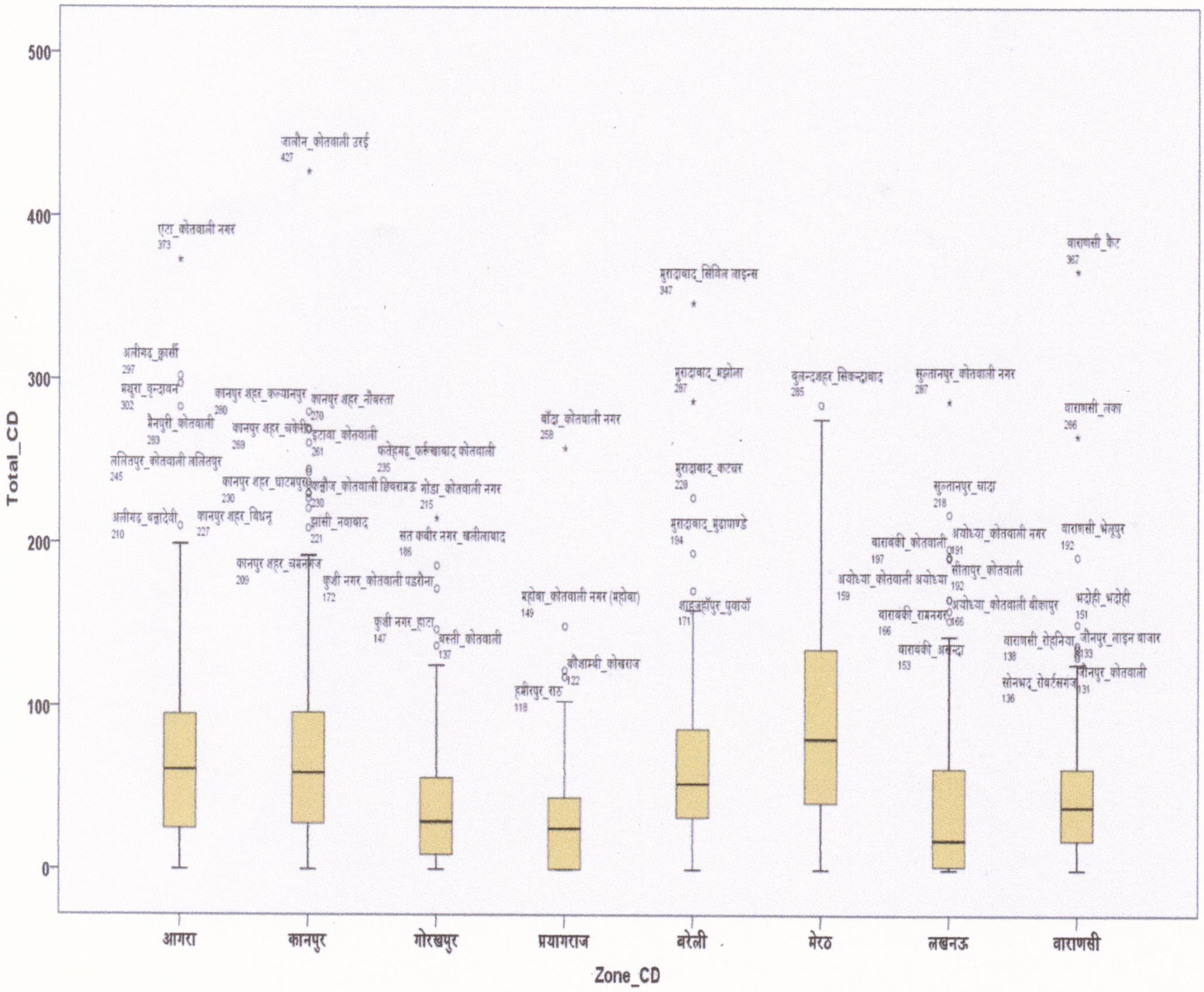

BOX PLOT FOR ZONEWISE TOTAL NUMBER OF CASE DIARIES

➢ जोन स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन आगरा जोन जहाँ 68% केस डायरी सीसीटीएनएस पोर्टल पर फीड की गयी। दूसरे स्थान पर वाराणसी जोन में 56% एवं तीसरे स्थान पर बरेली जोन में 55% केस डायरी सीसीटीएनएस पोर्टल पर फीड की गयी। सबसे खराब प्रर्दशनों में लखनऊ जोन में 27% एवं प्रयागराज जोन में 26% केस डायरी सीसीटीएनएस पोर्टल पर फीड की गयी है।

➢ रेंज स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में केस डायरी सीसीटीएनएस पोर्टल पर फीड करने में अलीगढ़ 79% रहा। सहारनपुर रेंज 75% एवं सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले रेंज में लखनऊ 20% एवं प्रयागराज 16% केस डायरी सीसीटीएनएस पोर्टल पर फीड की गयी है।

➢ प्रयागराज जोन और लखनऊ जोन में सबसे कम फीड होना पाया गया है। लखनऊ जोन में केवल बाराबंकी और अयोध्या द्वारा ही रूचि ली जा रही है, बाकी जनपदों द्वारा कोई रूचि नहीं ली जा रही है। अन्य जनपदों के केवल एक दो ही थानों में ही केस डायरी सीसीटीएनएस पोर्टल पर फीड किया जा रहा है। इसी प्रकार प्रयागराज जोन में केवल बाँदा एवं हमीरपुर जनपदों को छोड़कर बाकी जनपदों में कोई रूचि नहीं ली जा रही है।

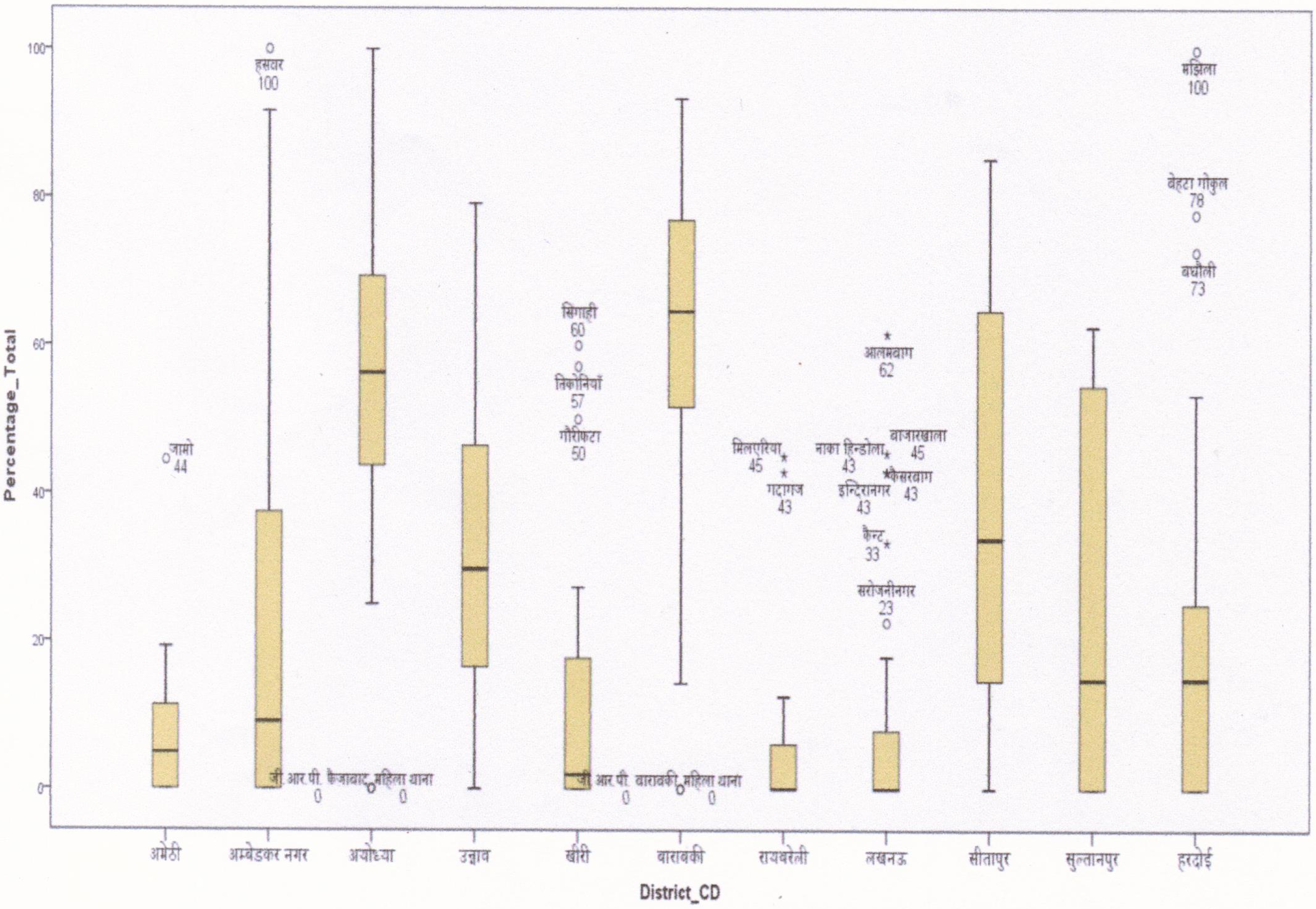

Box Plot of performance of districts of Lucknow zone in % feeding of CD in CCTNS

➢ दहेज हत्या के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकारी स्तर पर केस डायरी को फीड करने में 23 जनपदों द्वारा शत–प्रतिशत केस डायरी सीसीटीएनएस पोर्टल पर फीड की जा रही है, जो सराहनीय प्रयास है। साथ ही 80% से 99% तक 6 जनपद एवं 50% से 80% तक 17 जनपदों द्वारा केस डायरी सीसीटीएनएस पोर्टल पर फीड की जा रही है। सीसीटीएनएस पोर्टल पर 20% से भी कम केस डायरी क्षेत्राधिकारी स्तर पर जनपद अमेठी, खीरी, गाजियाबाद, गोरखपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, फतेहपुर, रायबरेली और लखनऊ में फीड की गयी। इन जनपदों द्वारा विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। ऐसे क्षेत्राधिकारियों के वार्षिक मन्तव्य में इसका उल्लेख किया जाय।

➢ बलात्कार से सम्बन्धित मामलों में 70% से 100% के बीच केस डायरी फीड करने वाले 20 जनपद हैं, जो कि एक सराहनीय प्रयास है। लेकिन 30% से कम सीसीटीएनएस पोर्टल पर केस डायरी फीड करने वाले 17 जनपद हैं। उनमें भी सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले जनपद अमेठी, रायबरेली, प्रतापगढ़, लखनऊ, फतेहपुर, गोरखपुर, खीरी एवं गाजियाबाद हैं।

➢ इसके अतिरिक्त अज्ञात शव के मामले में दिनांक 01.01.2019 से 30.04.2019 तक पूरे प्रदेश में अज्ञात शव की फीडिंग सबसे ज्यादा 11 थानों में हुई है। जिसमें सबसे ज्यादा जनपद प्रयागराज थाना कोतवाली में 34 अज्ञात शव के मामले दर्ज हुए। जनपद बरेली थाना कोतवाली–23, जनपद गाजियाबाद थाना विजय नगर–15, जनपद मुरादाबाद थाना कटघर–11, जनपद कानपुर नगर थाना अनवरगंज–9, जनपद कौशाम्बी थाना सैनी–9 एवं जीआरपी में सबसे अधिक चारबाग लखनऊ में 8 केस दर्ज हुए हैं।

➢ जनपदवार उक्त अवधि में सर्वाधिक प्रयागराज में 80, बरेली में 52, वाराणसी में 37 कानुर शहर में 30, लखनऊ में 26, मुरादाबाद में 22, गाजियाबाद में 21 एवं इटावा में 19 अज्ञात शव की फीडिंग हुई है। जनपदों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक द्वारा क्षेत्राधिकारियों की एक टीम बनाकर उसकी जॉच करायी जानी चाहिए कि किन कारणों से, थाने के किन क्षेत्रों में और किस समय ये शव मिले। साथ ही इन मुकदमों की स्थिति क्या है और कितने अज्ञात शवों की शिनाख्त हो चुकी है।

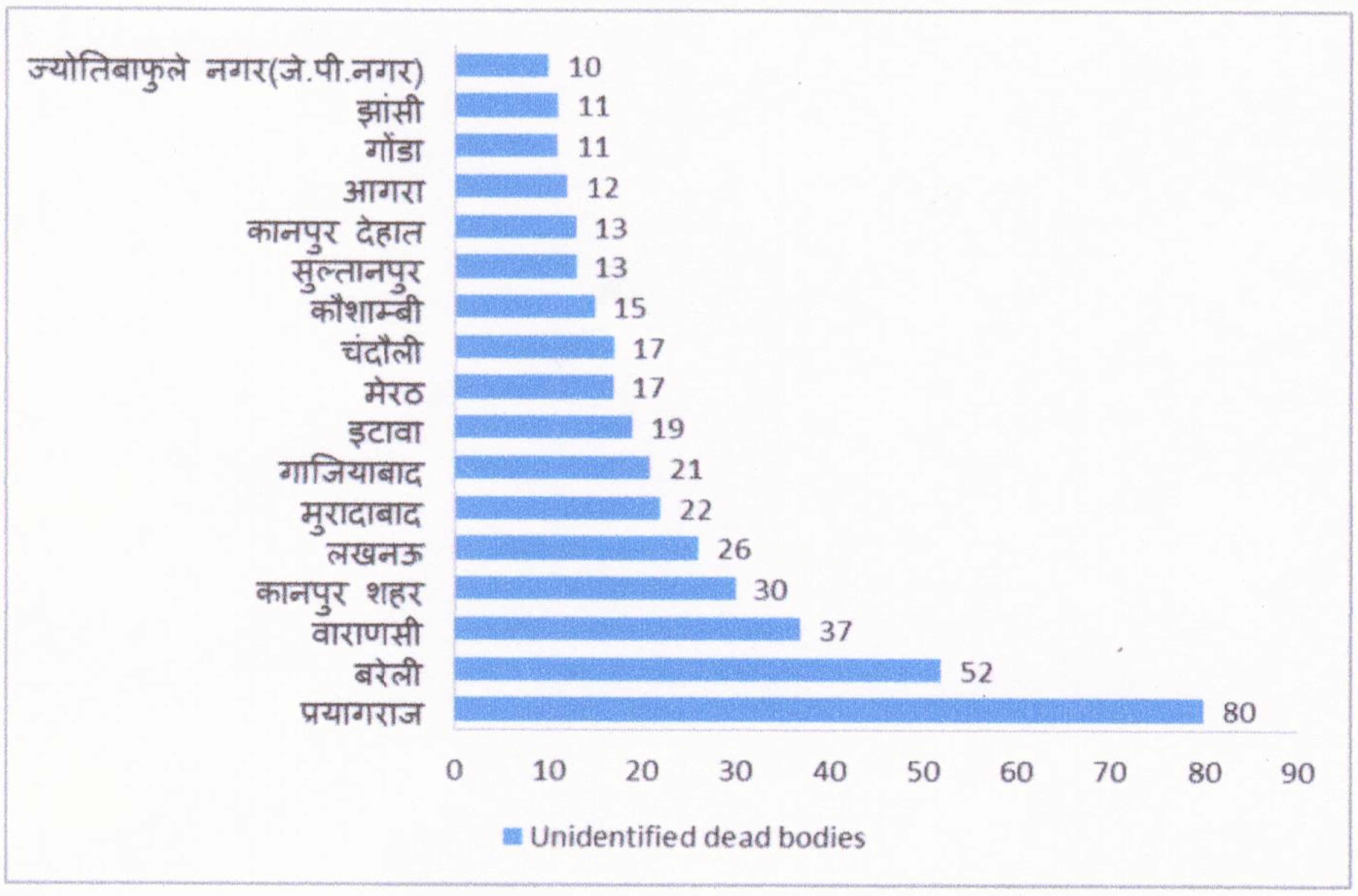

➢ सड़क दुर्घटना (304A) जैसी घटनाओं का IIF-2 में अक्षांश व देशांतर की फीडिंग शतप्रतिशत सुनिश्चित करायें। वाराणसी, बिजनौर, अयोध्या जैसे कुछ जनपदों के थानों द्वारा ही विशेष रूचि ली जा रही है। सभी जनपदों द्वारा सड़क दुर्घटना के ऐसे मामलों में शतप्रतिशत अक्षांश व देशांतर की फीडिंग करानी चाहिए।

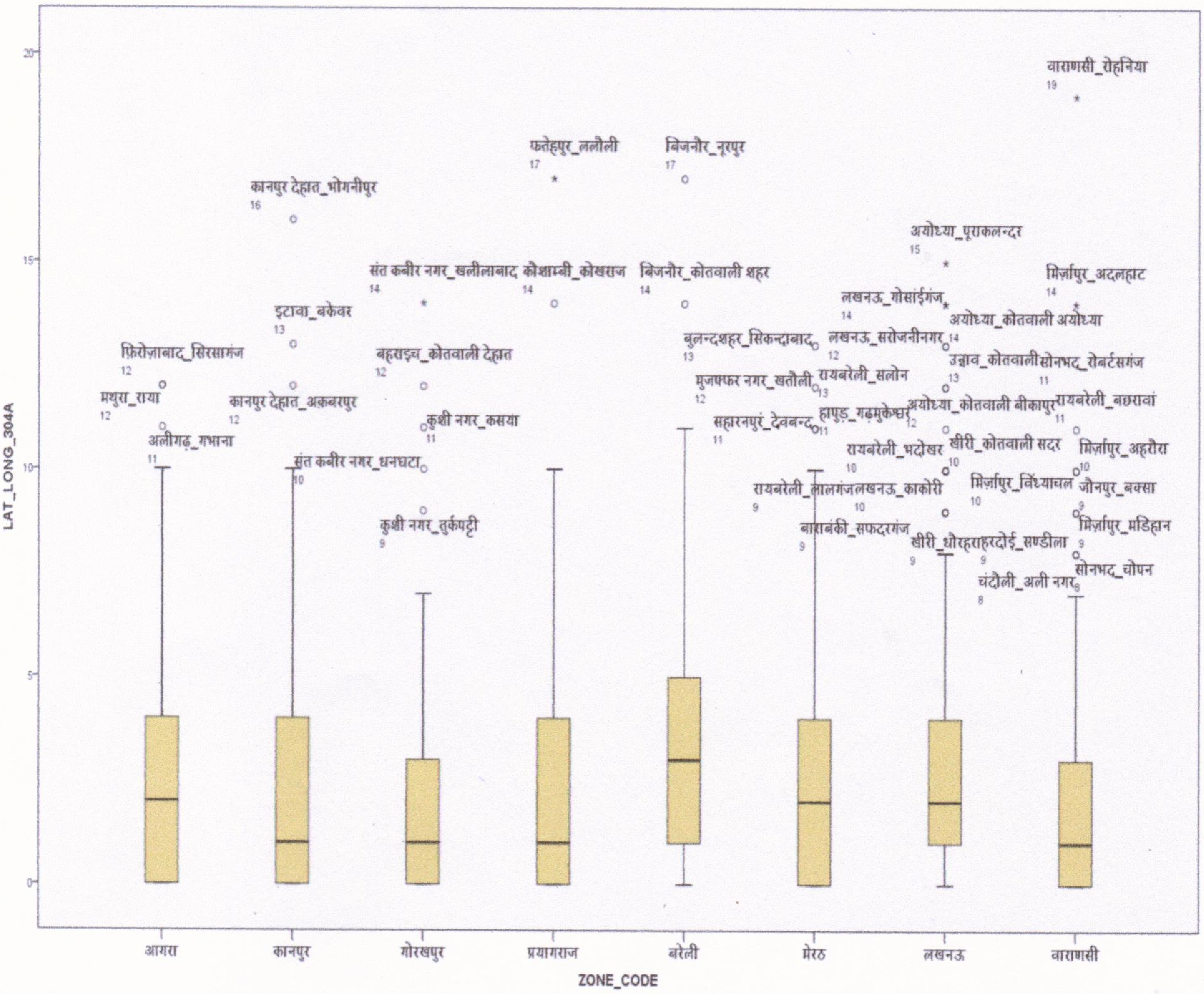

Box Plot of Zonewise total number of feeding of Latitude and Longitude under IPC 304A

➢ हत्या, लूट एवं बलात्कार के मामलों में सीसीटीएनएस में IIF-2 में अक्षांश व देशांतर की फीडिंग में गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर एवं वाराणसी जनपदों के थानों द्वारा ही विशेष रूचि ली जा रही है। जोन स्तर पर मेरठ जोन में इस दिशा में पर्याप्त रूचि ली जा रही है जिसका अन्य जोन के जनपदों द्वारा अनुकरण करना चाहिए।

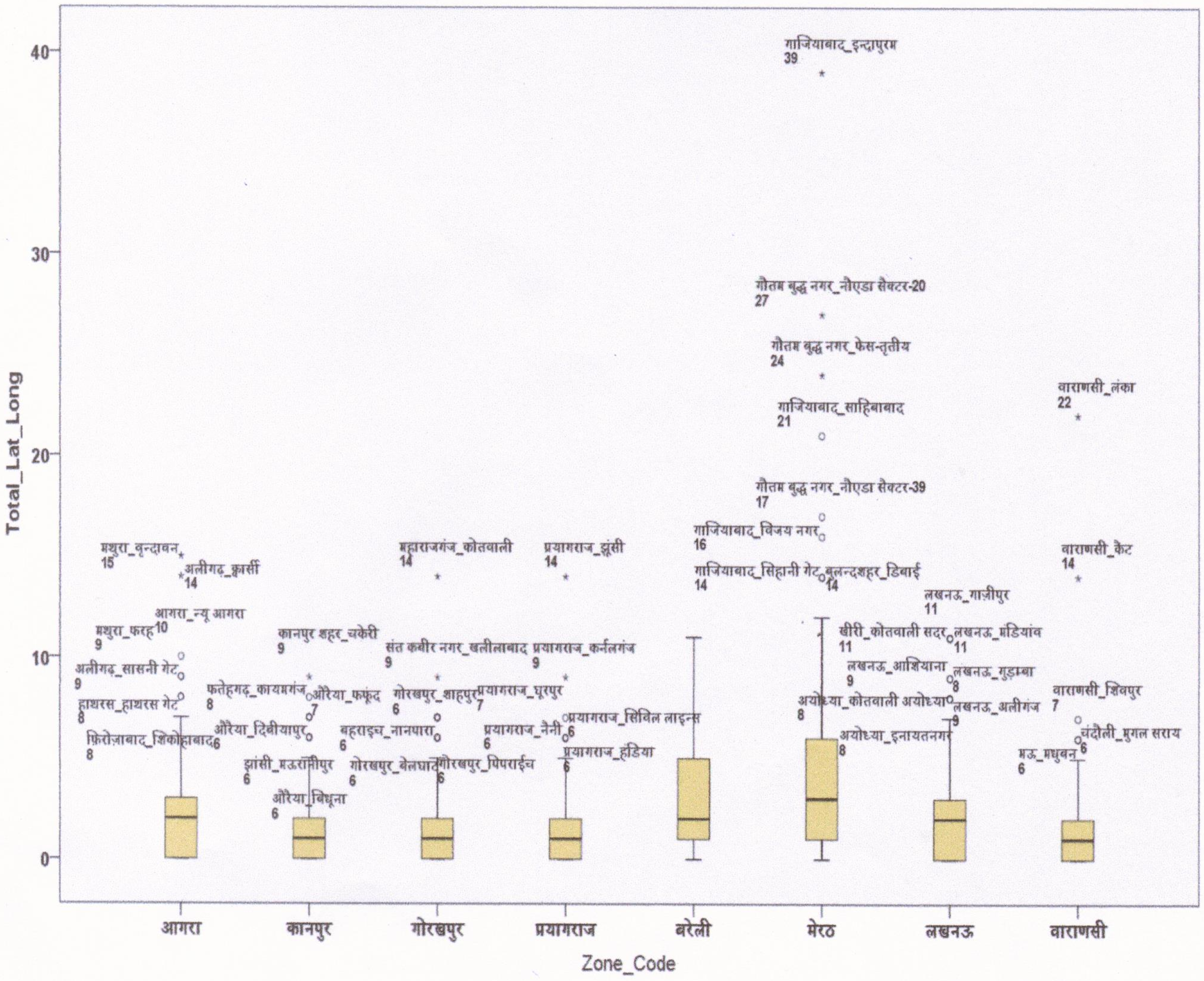

Box Plot of Zonewise total number of feeding of Latitude and Longitude under IPC 302, 392 & 376

3. उपरोक्त द्वारा दिनांक 01.01.2019 से 30.04.2019 तक पूरे प्रदेश में थानों में विभिन्न अभियोगों के पंजीकृत मामलों की समीक्षा की गयी है। पूर्व में प्रदान किये गये निर्देशों के उपरान्त एवं निकट पर्यवेक्षण में समीक्षा पर भी **कतिपय जनपदों द्वारा अति निम्न स्तर का प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है एवं इसमें सुधार भी नहीं किया जा रहा है, यह स्थिति अति संवेदनशील व निराशाजनक है।**

4. जनपदीय क्षेत्राधिकारी उक्त के अनुपालन में अपने अधीनस्थ विवेचकों व थानाध्यक्षों के कार्यों का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण करते हुए रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। जनपदीय प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक अपने अधीनस्थ अपर पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारियों के सन्दर्भ में उक्त के अनुपालन के परिप्रेक्ष्य में रिपोर्ट देंगे। परन्तु खेद का विषय है कि किसी भी स्तर पर कोई भी रिपोर्ट प्रेषित नहीं की जा रही है।

5. ज्ञातव्य हो कि उक्त सन्दर्भ में मा0 उच्च न्यायालय के संलग्न दिनांक 29.04.2019 के आदेश के क्रम में सीसीटीएनएस योजना के प्रभावी संचालन एवं अनुश्रवण हेतु अग्रिम तिथि 10.07.2019 नियत है। सीसीटीएनएस की कार्यप्रणाली में लगातार निर्देशों के उपरान्त भी कुछ जनपदों द्वारा अपेक्षित सुधार नहीं किया जा रहा है। इस कार्यवाही में दिनांक 10.07.2019 के पूर्व अपेक्षित सुधार लाने का कष्ट करें ताकि मा0 उच्च न्यायालय स्तर के आदेशों की अवहेलना किये जाने पर जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्व अवमानना की स्थिति से बचा जा सके। **इस अपेक्षित कार्यवाही के कियान्वयन में जिम्मेदार अधिकारी का उत्तरदायित्व तय किया जाय तथा ऐसे विवेचकों/ थानाध्यक्षों के विरूद्व कार्यवाही की जाय।** अतः उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से

अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि मा0 उच्च न्यायालय में निर्धारित तिथि से पूर्व तकनीकी सेवायें द्वारा की जाने वाली समीक्षा में सीसीटीएनएस पोर्टल पर केस डायरी की स्थिति बेहतर हो सके तथा मा0 न्यायालय को तथ्यों से अवगत कराया जा सके।

6. उपरोक्त के सन्दर्भ में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के सन्दर्भ में सूचना मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को प्रेषित की जाय जिस पर अग्रिम अनुशासनात्मक कार्यवाही अपर पुलिस महानिदेशक (कार्मिक), अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) एवं अपर पुलिस महानिदेशक (स्थापना) के स्तर से की जायेगी।

संलग्नक–यथोपरि।

6/6/19

(ओ0पी0सिंह)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर पुलिस महानिदेशक (स्थापना) मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक (कार्मिक) मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस आशय से कि संबंधित अपर पुलिस महानिदेशक, जोन द्वारा प्रेषित आख्या को उक्त अधिकारियों के व्यक्तिगत पत्रावली पर रखें।
3. अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ।
6. पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक के जी0एस0ओ0, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. दिग्विजय, कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए, उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि समस्त कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए को क्यूमेल के माध्यम से प्रेषित किये जाने व अभिलेखार्थ रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने हेतु।
8. प्रभारी ईमेल को पत्र मेल व वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।